न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 03/2023 राजस्व अपील

1. राजन्ती पत्नि भगवान सहाय जाति मीना निवासी ग्राम मूंही तहसील बसवा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार गुढाकटला जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय निर्णय उप तहसीलदार गुढाकटला दिनांक 21.10.2022 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम राजन्ती प्रकरण संख्या 11/2022 अन्तर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

उपस्थिति : श्री मानसिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट बहस के दौरान अनुपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

दिनांकः 24.06.2024

:– निर्णय :–

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार गुढाकटला के समक्ष इस आशय की गई कि अपीलान्ट ने ग्राम मुंही स्थित भूमि खसरा नम्बर 1679, 1697 रकबा 0.12 है. किस्म सिवायचक पर पक्की दीवार बनाकर अतिचार कर लिया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तरीके से निर्णय जेर अपील पारित कर अपीलान्ट पर शास्ति कायम कर अपीलान्ट को बेदखल कर दिया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर किये गये निर्णय के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट बहस के दौरान उपस्थित नहीं आये। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय का नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय मे हाजिर हुई तथा जवाब व सबूत पेश करने का अवसर चाहा, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही सरासर गलत तरीके से इकतरफा में निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट ने किसी भी सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि सैटलमेंन्ट विभाग ने भूमि की चौडाई को गलत तरीके से बढा दिया जिसकी दुरूस्ती हेतु अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में वाद पेश कर रखा है। पटवारी हल्का ने भूमि का मौका देखे बिना ही सरासर गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट [illegible] पर ही अपीलान्ट के पीठ पीछे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित किया [illegible] है [illegible] कि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार [illegible] निर्णय दिनांक 21.10.2022 निरस्त फरमावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलक्टर
दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:01:02 IST
Reason: SelfAttested

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम मुंही स्थित भूमि खसरा नंबर 1679 रकबा 0.07 है., खसरा नंबर 1697 रकबा 0.05 है. कुल रकबा 0.12 है. पर पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर अपीलान्ट के न्यायालय में उपस्थित होने पर जवाब प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अतिक्रमण बाबत् पटवारी, पटवार क्षेत्र मुंही ने मौके पर नाप तौल या पैमाईश नहीं की है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब की मौका एवं रिकॉर्ड से जांच एवं नियमानुसार सीमाज्ञान करने हेतु टीम का गठन किया गया। जिसकी पालना में टीम द्वारा मौके पर जाकर सीमाज्ञान कर ग्राम मुंही स्थित भूमि खसरा नम्बर 1679, 1697 रकबा 0.12 है. पर पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण किये जाने बाबत् रिपोर्ट पेश की गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 21.10.2022 पारित कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर शास्ति कायम करने का निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को प्रकरण में सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब भी पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से सीमाज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मुंही स्थित भूमि खसरा नम्बर 1679, 1697 रकबा 0.12 है. पर पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.10.2022 पारित कर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर शास्ति कायम कर अपीलान्ट को अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार गुढाकटला तहसील बसवा का प्रकरण संख्या 11/2022 उनवानी सरकार बनाम राजन्ती में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:02:02 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा